न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री मुन्नीराम बागड़िया आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 06 / 2024
GCMS NO-2024/7

प्रार्थी		अप्रार्थी
किसनाराम करवासरा, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।	बनाम	1. श्री देवीसिंह पुत्र श्री हरीसिंह उम्र 29 वर्ष निवासी रत्नुओं की ढाणी भियाड़ तहसील शिव जिला बाड़मेंर(मालिक) मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर। 2. श्री रामलाल चौधरी पुत्र श्री सोहनलाल चौधरी उम्र 54 वर्ष निवासी 917 /1 पसंद नगर कोटडा सांवन विद्यालय के पास अजमेर (प्रबंधंक) मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से देवीसिंह व रामलाल उपस्थित।

दिनांकः 20.03.2024

:: निर्णय ::

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थी के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2023 को दोपहर 03.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर पर 1.श्री देवीसिंह पुत्र श्री हरीसिंह उम्र 29 वर्ष निवासी रत्नुओं की ढाणी भियाड़ तहसील शिव जिला बाड़मेंर(मालिक) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ डेयरी प्लांट के अन्दर दूध (मिक्शमिल्क) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात दूध (मिक्शमिल्क) 02 लीटर के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 108/– रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा दूध (मिक्शमिल्क) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येंक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

कोड एवं सीरियल नम्बर एन–1887 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन–1887 नियमानुसार चारों नमूनो पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन–1887 दूध (मिक्शमिल्क) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को किशनाराम कड़वासरा के द्वारा दिनांक 06.11.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 02.11.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 2174–76 दिनांक 01.12.2023 के द्वारां ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **B.L.S./2912/Act/2023/2912** दिनांक 01.11.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/स्वीकृति/एन–1887/06 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री देवीसिंह पुत्र श्री हरीसिंह उम्र 29 वर्ष निवासी रत्नुओं की ढाणी भियाड़ तहसील शिव जिला बाड़मेंर(मौक पर विक्रेता) मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर 2. श्री रामलाल चौधरी पुत्र श्री सोहनलाल चौधरी उम्र 54 वर्ष निवासी 917/1 पसंद नगर कोटडा सांवन विद्यालय के पास अजमेर (प्रबंधंक) मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर के द्वारा सबस्टेण्डर्ड दूध (मिक्शमिल्क) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01व 02 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्राथी ने खाद्य पदार्थ गाय के दूध (मिक्शमिल्क) का औसत फैट 3.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत तक ही आता

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्लॉट से रॉ मिल्क का ही नमूना लिया गया था। प्राप्त नमूना को गाय का दूध ही माना जावें तद्नुसार टेस्टिंग रिपोर्ट उचित है। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नही की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं **B.L.S./2912/Act/2023/2912** दिनांक 01.11.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे साक्ष्य प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ गाय के दूध (मिक्शमिल्क) का औसत फैट 3.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत तक ही आता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्लॉट से रॉ मिल्क का ही नमूना लिया गया था। प्राप्त नमूना को गाय का दूध ही माना जावें तद्नुसार टेस्टिंग रिपोर्ट उचित है। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नही की गयी। भविष्य में भी ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के दूध (मिक्शमिल्क) खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. श्री देवीसिंह पुत्र श्री हरीसिंह उम्र 29 वर्ष निवासी रत्नुओं की ढाणी भियाड़ तहसील शिव जिला बाड़मेंर(मौक पर विक्रेता) मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर 2. श्री रामलाल चौधरी पुत्र श्री सोहनलाल चौधरी उम्र 54 वर्ष निवासी 9171 पसंद नगर कोटडा सांवन विद्यालय के पास अजमेर (प्रबंधंक) मैसर्स जैसलमेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड केएम रामगढ रोड बड़ाबाग जैसलमेर के सबस्टेण्डर्ड स्तर का दूध (मिक्शमिल्क) खाद्य पदार्थ के सबस्टेण्डर्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 व 02 पर कुल 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर